न्यायालय सहायक कलक्टर झुंझुनूं, जिला झुंझुनूं (राजस्थान)

(पीठासीन अधिकारी :– हवाई सिंह यादव, आर. ए. एस.)

मुकदमा नं. :– 533 / 2024

मनकोरी बनाम सुभाष वगै0

1. मनकोरी पत्नी स्व० मोहन
2. श्रवण पुत्र मोहन

   समस्त जाति जाट निवासीगण धोलाखेड़ा तहसील गुढागौड़जी जिला झुन्झुनूं।

वादीगण

बनाम

1. सुभाष पुत्र मोहन
2. कुरड़ा पुत्र नन्दा
3. रामेश्वर पुत्र नन्दा (फौत)

   3/1. संदीप कुमार दत्तक पुत्र रामेश्वर
4. लादूराम पुत्र नन्दा
5. लिक्षमण पुत्र नन्दा

   समस्त जाति जाट निवासीगण धोलाखेड़ा तहसील गुढागौड़जी जिला झुन्झुनूं।
6. जरिये शाखा प्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा ए०डी०बी0 उदयपुरवाटी वर्तमान ना स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा ए०डी०बी० उदयपुरवाटी झुन्झुनूं (राज०)
7. जरिये शाखा प्रबन्धक कारपोरेशन बैंक शाखा उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।
8. राज्य सरकार (लैण्ड होल्डर) जरिये तहसीलदार एवं उप पंजीयक गुढागौड़जी जिला झुन्झुनूं।

..प्रतिवादीगण

दावा घोषणार्थ, बंटवारा, स्थायी निषेधाज्ञा

वाद वादीगण निम्न आशय का पेश किया गया कि ग्राम धोलाखेडा पटवार हल्का रघुनाथपुरा की सरहद मे हाल खसरा नम्बर 601, 602 रकबा कमशः 0.05, 4.42 हैक्टर कुल कित्ता 2 कुल रकबा 4.47 हैक्टर स्थित है। उपरोक्त भूमि वादी व प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 की पैत्रिक भूमि है विरास्त में वादीगण व प्रतिवादीगण लगायत 5 को प्राप्त हुई है। उपरोक्त भूमि को आगे वादपत्र में विवादग्रस्त भूमि के नाम से सम्बोधित किया गया है। उपरोक्त भूमि के पूर्व में वादी नम्बर 1 का ससुर व वादी नम्बर 2 व प्रतिवादी नम्बर 1 का दादा, प्रतिवादी नम्बर 2 लगायत 5 का पिता स्व० मोहन व प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 स्व० नन्दा को काश्त में सहयोग करते थे स्व० नन्दा की मृत्यु के बाद वादी नम्बर 2 व प्रतिवादी सख्या 1 का पिता व वादी नम्बर 1 का पति स्व० मोहन व प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 द्वारा आपस में मौखिक रूप से विभाजन कर काश्त करने लग गये। स्व० मोहन की मृत्यु के बाद उनका हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 1 काश्त कर रहे है। स्व० मोहन की मृत्यु के समय वादी नम्बर 2 मात्र 2 वर्ष का था उस समय वादी नम्बर 2 को घर में ख्यलीराम के नाम से कुछ लोग पुकारते थे तथा कुल लोग श्रवण के नाम से पुकारते थे। स्व० मोहन का विरारात नामान्तकरण भरा गया तो वादी नम्बर 1 पर्दा नशीड औरत होने के कारण पंचायत में नहीं गये, प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 व आस पडौसी ने वादी नम्बर 2 का नाम विरासत नामान्तकरण में वादी नम्बर 1 व प्रतिवादी नम्बर 1 के साथ ख्यालीराम दर्ज करवा दिया। वादी नम्बर 1 स्कूल जाने लगा तो उसमें उसका दुसरा नाम श्रवण लिखा दिया गया। उसके बाद वादी नम्बर 1 को केवल मात्र श्रवण के नाम से जाना जाता है तथा उसका सम्पूर्ण दस्तावेज

सहायक कलक्टर
झुंझुनूं

आधार कार्ड, राशन कार्ड, शैक्षिणक दस्तावेज व वोटर लिस्ट में श्रवण के नाम से दर्ज है। राजस्व रिकार्ड के गर में वादी नम्बर 2 द्वारा कभी ध्यान नहीं दिया क्योकि वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 1 स्व० पिता मोहन के हिस्से को शांति काश्त करते आ रहे है। वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 1 स्व० मोहन के हिस्से 1/5 को शांति पूर्वक काश्त करते आ रहे है इसलिये ध्यान नही दिया। प्रतिवादी नम्बर 1 काश्त को लेकर अब आये दिन बदमाशी करता है, काश्त में लागत अधिक दिखाता है इस बात को लेकर वादीगण का प्रतिवादी नम्बर 1 से कई बार वाद विवाद हो चुका है। इस पर वादीगण राजस्व रिकार्ड की नकल लेने व वादीगण द्वारा किशान केडिट कार्ड बनवाया तो उसे पता चला कि उसका नाम राजस्व रिकार्ड में ख्यालीराम दर्ज है जो गलत दर्ज है जिसे वादीगण दुरूस्त करवाने के अधिकारी है। इसलिये यह दावा घोषणार्थ, दुरूस्ती रिकार्ड हेतु पेश करना आवश्यक हुआ।
वादी नम्बर 1 का पति व वादी नम्बर 2 व प्रतिवादी नम्बर 1 के पिता स्व० मोहन के हिस्से 1/5 को मौखिक बंटवारे के अनुसार काश्त करते आ रहे हैं अब प्रतिवादी नम्बर 1 फसल के लांट बांट में लगे खर्चे को बढ़ा चढ़ा कर बत्ताने लग गया इस पर वादीगण द्वारा ऐतराज करने पर वादीगण के साथ झगड़ा करता है तथा धमकी देता है कि वह लाठी के बल से स्व० मोहन की 1/5 हिस्से को काश्त करेगा तथा स्व० मोहन के हिस्से का बंटवारा नहीं करेगा ना ही करने देगा। इसलिये वादीगण अपने हिस्से का बंटवारा करवाना चाहते है। वादीगण द्वारा अपने हिस्स्से 2/15 का विधिवत बंटवारे के लिये निवेदन किया तो प्रतिवादीगण ने ऐसा करने से साफ इन्कार कर दिया। इसलिये वादीगण अपने हिस्से 2/15 का बंटवारा करवाना चाहते है। इसलिये यह दावा वास्ते बंटवारा पेश करना आवश्यक हुआ।

उपर्युक्तानुसार दावा पेश होने पर न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रियानुसार वाद वादी प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव मंगवाये गये। तहसीलदार ने विभाजन प्रस्ताव अपने पत्र क्रमांक भू0अ0/25/606 दिनांक 25.02.2025 द्वारा इस न्यायालय में प्रेषित किये। वादी की ओर से एडवोकेट यतीश सिंह उपस्थित। एक पक्षीय बहस सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता ने मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद डिक्री जारी करने में सहमति जाहिर की। अधिवक्ता को सुना जाकर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों व राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन वाद वादी सिद्ध होने पर पर स्वीकार किया जाना न्यायालय मत पर उचित प्रतीत होता है।

–: निर्णय :–

वाद वादी अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम धोलाखेडा पटवार हल्का रघुनाथपुरा की सरहद मे हाल खसरा नम्बर 601, 602 रकबा कमशः 0.05, 4.42 हैक्टर कुल कित्ता 2 कुल रकबा 4.47 हैक्टर कृषि भूमि का मुताबिक विभाजन प्रस्ताव खाता विभाजन के आदेश दिये जाते हैं। विभाजन प्रस्ताव निर्णय/डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। निर्णय की पालना हेतु तहरीर जारी हो। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो हो। निर्णय आज दिनांक 04.03.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(हवाई सिंह यादव)
सहायक कलक्टर, झुन्झुनू

मूल वाद में डिक्री (आदेश 20 के नियम 6 ओर 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर, झुन्झुनू

(पीठासीन अधिकारी :– हवाई सिंह यादव, आर. ए. एस.)

मुकदमा नं. पुराना : 533/2024

मनकोरी बनाम सुभाष वगै0

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री यतीश सिंह की उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 04.03.2025 को हवाई सिंह यादव सहायक कलक्टर झुन्झुनू के समक्ष निपटारे के पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री की जाती है कि वाद वादीगण अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम धोलाखेड़ा पटवार हल्का रघुनाथपुरा के हाल भूमि खसरा नम्बर 601 रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 602 रकबा 4.42 हैक्टर कुल किता 2 का कुल रकबा 4.47 हैक्टर कृषि भूमि का मुताबिक विभाजन प्रस्ताव खाता विभाजन के आदेश दिये जाते हैं। विभाजन प्रस्ताव निर्णय/डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। निर्णय की पालना हेतु तहरीर जारी हो। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 04.03.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा द्वारा जारी किया गया।

(हवाई सिंह यादव)
सहायक कलक्टर झुन्झुनू

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा मेहनतनामा वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा	4 2 1000	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी मेहनतनामा वकील पर खर्चा गवाहान फीस कमिशनर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	1
योग	1006	योग	1

(हवाई सिंह यादव)
सहायक कलक्टर झुन्झुनूं